# कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर, जिला- सूरजपुर (छ०ग०)

क्रमांक / 3684 / MGNREGA / स्था. / जि.पं. / 2018 सूरजपुर दिनांक 23/08/2018

## –:: प्रेस विज्ञप्ति सह सूचना ::–

**महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत** जनपद स्तर के सहायक प्रोग्रारम एवं लेखापाल के रिक्त पद पर भर्ती किये जाने हेतु पात्रताधारी आवदकों द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञापन जारी कर प्रकाशित किया गया है। उक्त विज्ञापन एवं सूचना को जिले की वेबसाईट www.surajpur.gov.in में Upload किया गया है जिसे जिले की वेबसाईट में अवलोकन किया जा सकता है।

अतः उक्त संबंध में ऐसे समस्त पातत्राधारी आवेदकों से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर के नाम से दिनांक 04/09/18 समय 5.30 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित समय पश्चात् या विलंब से प्राप्त आवेदनों पर किसी प्रकार का कोई भी विचार नहीं किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सूरजपुर

पृष्ठां क्रमांक / 3685 / MGNREGA / स्था. / जि.पं. / 2018 सूरजपुर दिनांक 23/08/2018

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त महोदय, मनरेगा, इन्द्रावती भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संभागायुक्त, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर महोदय, जिला –सूरजपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. जन सम्पर्क अधिकारी, जिला– सूरजपुर को ओर सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्र में सूचना प्रकाशनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सूरजपुर

# कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर (छत्तीसगढ़)

## –0: विज्ञापन 0:–

सूरजपुर, दिनांक 23 / 08 / 2018

क्र / 3686 / MGNREGA / विज्ञा. / जि.पं. / 2018–19 :: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत **जनपद पंचायत स्तर पर संविदा के सहायक प्रोग्रामर एवं लेखापाल** के रिक्त पद की पूर्ति हेतु आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर के नाम से दिनांक 04/09/18 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर जिला पंचायत कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं।

| क्र0 | पदनाम | शैक्षणिक योग्यता | विवरण | अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **सहायक प्रोग्रामर**<br>**बैकलाग के रिक्त पदों की संख्या –01**<br>(1) अ0जा0 मुक्त –01 | **शैक्षणिक योग्यता एवं चयन हेतु प्राथमिकता क्रम**<br>1. कम्प्यूटर सांईस / आई.टी विषय में बी.ई. / बी. टेक।<br>2. एम.सी.ए. / एम.सी.एम. / एम.एस.सी. (कम्प्यूटर सांईस / आई.टी.)। | स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए | 45 |
| | | | कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर | 40 |
| | | | **शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं मे कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव** | |
| | | | न्यूनतम 01 से 02 वर्ष तक का अनुभव | 5 |
| | | | 05 तक का अनुभव | 10 |
| | | | 05 वर्ष से अधिक का अनुभव | 15 |
| 2 | **लेखापाल**<br>**रिक्त पदो की संख्या –04**<br>(1) अ.ज.जा मुक्त– 01<br>(2) अ.ज.जा.महिला–01<br>(3) अनारक्षित मुक्त–01<br>(4) अनारक्षित महिला–01 | **शैक्षणिक योग्यता एवं चयन के लिए प्राथमिकता क्रम–**<br>55 प्रतिशत में बी.कॉम (अ0ज0जा0 एवं अ0जा0 हेतु 50 प्रतिशत में बी0कॉम ( बस्तर एवं सरगुजा संभाग के लिए द्वितीय श्रेणी में बी0 कॉम उत्तीर्ण) | हायर सेकेण्डरी में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए | 20 |
| | | | न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पर 100 अंक का Weightage देते हुए | 50 |
| | | | कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर | 15 |
| | | | **शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं मे कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव** | |
| | | | न्यूनतम 01 से 02 वर्ष तक का अनुभव | 5 |
| | | | 05 तक का अनुभव | 10 |
| | | | 05 वर्ष से अधिक का अनुभव | 15 |

## नियम व शर्ते निम्नानुसार है :–

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में, पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर के नाम से दिनांक .................................. तक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर स्वीकार किये जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। निर्धारित समय पश्चात् आवेदनो पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा में छूट के संबंध में छ0ग0 के निवासियों एवं विभिन्न वर्गो के लिए समय–समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 01 अगस्त 2018 के आधार पर की जावेगी।
3. एक मुश्त संविदा वेतन :–

| क्र | पदनाम | वेतन | ग्रेड वेतन | एकमुश्त संविदा वेतन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सहायक प्रोग्रामर | 9300—34800 | 4300 | 20342 |
| 2 | लेखापाल | 5200—20200 | 2400 | 16465 |

**टीप :—विहित पदों पर संविदा नियुक्ति की स्थिति में मासिक एकमुश्त राशि वेतन वह होगा जो वित्त विभाग समय—समय पर समान या विशेष आदेश द्वारा नियत करें।**

4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ जाति सत्यापन प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

5. निःशक्त जन को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. आवेदक को छ0ग0 राज्य को मूल निवासी होना अनिवार्य है एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा।

7. आवेदन मे आवेदक का फोटो एवं समस्त प्रमाण पत्र तथा अंकसूची स्व—प्रमाणित सत्यापित होना आवश्यक है। स्व—प्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।

8. संविदा नियुक्ति अधिकतम तीव वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता कार्य क्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनो पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिए निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।

9. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.9—1/2012/1—3 दिनांक — 31 दिसम्बर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होगी।

10. संविदा अवधि में छ0ग0 सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत् अवकाश की पात्रता होगी।

11. संविदा नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।

12. संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

13. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अविध हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु—लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

14. जिले में प्राप्त कुल आवेदनों की मैरिट आधार पर सूची बद्ध किया जावेगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जावेगा तद्उपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।

15. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो वरियता क्रम के आधार पर कौशल परीक्षा के लिए 01 पद के विरूद्ध 10 आवेदकों को बुलाया जावेगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा एवं क्रमशः कम अंक पाने वाले आवेदक को एक वर्ष के लिए वरियता क्रम प्रतिक्षा सूची में रखे जावेंगे एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे वरियता क्रम प्रतिक्षा सूची से भरा जावेगा।

16. शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जावेगा।

17. एसे आवेदक जिन्हे पूर्व में अनियमितता के आधार पर महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत किसी पद से पृथक किया गया अथवा उनकी संविदा सेवावृद्धि नहीं की गई है , वे चयन के लिए पात्र नहीं होंगें। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।

18. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

19. लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति मे प्रत्येक पद हेतु पृथक—पृथक आवेदन करना होगा।

20. आवेदक, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र. नहीं होगा।

21. आवेदक जिनकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो , नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

22. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले मे शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसेस करने का पर्याप्त कारण है तो व इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

नियुक्ति के संबंध में जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

24. उपरोक्त पद हेतु जिलों में मात्र स्थानीय निवासी ही, संबंधित जिले के जिला संवर्ग के पदों में भर्ती हेतु पात्र होंगे।

25. परिशिष्ट एक में दर्शाये गये पदों की संख्या में परिवर्तन संभावित है।

26. रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण प्रवर्गवार जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार है। जिला नियुक्ति के लिए पूर्व आरक्षित पदों का मिलान जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर से करने के पश्चात् ही नियुक्ति आदेश जारी करेंगे।

27. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप जिला पंचायत सूरजपुर की सूचना पटल एवं जिले के वेबसाईट www.surajpur.gov.in से अवलोकन किया जा सकता है।

28. समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेश एवं नियम लागू होंगे।

**(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)**

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
**जिला पंचायत सूरजपुर**

पृ.क्र./ 3687 /मनरेगा/स्था./जि.पं./2018 **सूरजपुर, दिनांक** 23.08.18

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संभाग आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर सूरजपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. जनसंपर्क कार्यालय जिला सूरजपुर की ओर सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी सूरजपुर की ओर सूचनार्थ एवं सूरजपुर जिले के वेबसाईड में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. जिला पंचायत के सूचना पटल में चस्पा हेतु।
7. कार्यालयीन नस्ती हेतु।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
**जिला पंचायत सूरजपुर**